


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



ONE HUNDRED RUPEES

11 MAY 2023

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 866803

(प्राकप-"अ")

21/04/23

सन् 2023-24 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सपथ-पत्र का प्राकप

मम शान सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं अनुराज कुमार सिंह (नाम सचिव) द्वारा: अध्यक्ष एवं सचिव श्रीकृष्णा टेक्नालाजिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रैक्टिसल ट्रस्ट, 89बी/8सी पूरा दलेज जल्लापुर, प्रयागराज (सोसाइटी/ट्रस्ट की नाम एवं पता) सपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एन.के. कालेज ऑफ फार्मेसी, चाकर, रीवा रोड, प्रयागराज संस्था का नाम एवं पता नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम धनुड़ा (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गट्टा संख्या 57 एवं 60 एकका क्रमांक: 0.2530 हेक्टेयर एवं 0.2050 हेक्टेयर (कुल एकका 0.4580 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गट्टा संख्या 57 एवं 60 एकका क्रमांक: 0.2530 हेक्टेयर एवं 0.2050 हेक्टेयर (कुल एकका 0.4580 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.10.2019 पारित किया गया है।

KS

KS

5. यह कि, उपरोक्त भूमि या ही उपरोक्त दिवसीय चारमैसी संस्थान के संभालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित करने के अनुमत किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लान सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं इस पर निर्माण एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर चारमैसी काउन्सिल जीक इन्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही दिवसीय चारमैसी संस्थान का ही संभालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्थान में चारमैसी काउन्सिल जीक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रविष्टित शिक्षा परिषद में सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश बहाला के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टन प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में चारमैसी काउन्सिल जीक इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रविष्टित शिक्षा परिषद, U.P. लखनऊ में सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई.टी.आई. आदि का संभालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्था के संभालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों आदि को चारमैसी काउन्सिल जीक इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्रविष्टित शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार ही सुलभित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संभालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की हैजरी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सब जॉभ के पूर्व का लिया जायेगा।
12. यह कि, संस्था / परिषद द्वारा मिलित निदेशों / आदेशों का पालन करेगा। यदि भी संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में सम्बन्धित कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धा समिति द्वारा लिया गया निर्देश अतिव्रत होना एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु भी इस कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।



में घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इसकी सही प्रतिलिपि सुचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से प्राप्त है। यदि मेरी सही जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज कमी, कूटनिष्ठ अथवा वृद्धिपूर्व वाले वाले हैं तो मैंने लिखित परिषद द्वारा नियमानुसार कानून मगत कार्यवाही की या कम्प्लेंट ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

[Signature]
 H. शर्मा

[Signature]
 H. शर्मा

To: Bhan Singh
 Identified by:
 Advocate to be named
 its true and correct
 verified and signed

[Signature]
 P.K. D...
 21/6/23
 ADVOCATE
 GOVT. OF INDIA

[Signature]
 IDENTIFIED BY
 ADVOCATE P...
 GOVT. OF INDIA